प्रेषक,

जिला अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

- निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
- निदेशक, चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, लखनऊ।
- सी0ई0ओ0, एयरपोर्ट अथॉरिटी, लखनऊ
- ए0पी0एच0ओ0, लखनऊ।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय/डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय/ रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय/लोकबन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय/भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय/टी0बी0 सह संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज/राम सागर मिश्र 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ।
- विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, क्वीन मैरी चिकित्सालय, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, वी0 अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय/वी0 झलकारी बाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ।
- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी (टेस्टिंग/सर्विलान्स) लखनऊ।
- अधीक्षक/अधीक्षिका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण/नगरीय) लखनऊ।.
- अध्यक्ष/सचिव, लखनऊ नर्सिंग होम एसोसिएशन/इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, लखनऊ।
- समस्त निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान/पैथालाजी, जनपद लखनऊ।

पत्रांक : कोविड–19/2022/ 1796-3 (2 F4) दिनांक : 23/12/2022

विषय : **कोविड–19 प्रबन्धन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक विश्व के विभिन्न देशों में कोविड –19 के नये वैरियेण्ट (बी0एफ0.7) के केसेज में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जनपद लखनऊ में कोविड–19 प्रबन्धन हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराये जाने हेतु निम्नवत निर्देश निर्गत किये जा रहे है।

1. **कोविड सैम्प्लिंग –**

1.1 सभी कोविड प्रयोगशालाओं की पूर्ण सक्रियता सुनिश्चित की जाये।

1.2 विभिन्न सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 तथा इनडोर इकाइयॉ द्वारा संसूचित सभी लक्षण युक्त व्यक्ति, जिनमें खॉसी, बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई के लक्षण पाए गए हो, की कोविड–19 रोग हेतु जॉच चिन्हीकरण के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से करा ली जाए।

1.3 **जनपद में क्रियाशील सभी निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाओं को सभी कोविड धनात्मक सैम्पल्स होल जीनोम सिक्वन्सिंग (Whole genome sequencing) हेतु के0जी0एम0यू0 के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया जाए।**

1.4 विभिन्न माध्यमों यथा फ्रंट लाइन वर्कर्स, निगरानी समिति, सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0, सर्विलांस टीम्स इत्यादि द्वारा संसूचित सभी ऐसे क्षेत्र जहॉ बडी संख्या में श्रवसन रोग के रोगी (Clusters of ARI and ILI cases) सूचित हुए हो, से अनिवार्य रूप से कोविड जॉच हेतु सैम्पल्स एकत्र किये जाये।

2. **सर्विलांस तथा संवेदीकरण गतिविधियां –**

2.1 कोविड प्रबंधन हेतु जनपद में स्थापित किये गये इण्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर को पुनः सक्रिय किया जाये।

2.2 समस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 रोग की सर्विलांस हेतु गठित टीमों को सुदृढ एवं क्रियाशील रखा जाए।

2.3 विदेश यात्रा से वापस प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों की कोविड रोग हेतु सर्विलांस सुनिश्चित किया जाए।

2.4 ब्लाक स्तर पर गठित निगरानी समिति एवं आर0आर0टी0 टीमों का पुनः संवेदीकरण किया जाये।

Scanned with CamScanner

2.5 ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की भांति आशा, आंगनबाडी वर्कर तथा ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों की टीम सघन सर्विलान्स एवं संवेदीकरण तथा लक्षणयुक्त व्यक्तियों को मेडिसिन किट के वितरण का कार्य सम्पादित करेगी।

3. **रैपिड रिस्पांस टीम्स की क्रियाशीलता –**

3.1 धनात्मक रोगियों के लोड के अनुसार जनपद एवं ब्लाक स्तर पर आर0आर0टी0 टीमों को क्रियाशील किया जाये।

3.2 रैपिड रिस्पांस टीम, जिनमें अनिवार्य रूप से एक चिकित्साधिकारी भी सम्मिलित होगा, के द्वारा धनात्मक रिजल्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के अन्दर हर धनात्मक रोगी का गृह भ्रमण कर कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की जाये।

3.3 धनात्मक रोगियों के निकट सम्पर्क में आये लक्षण युक्त कॉन्टेक्ट्स का 24 घंटे के अन्दर कोविड–19 की जॉच हेतु नमूना एकत्र कर सम्बन्धित प्रयोगशाला को उपलब्ध कराया जाये।

3.4 लक्षण विहीन कॉन्टेक्ट्स को इस बात के लिए संवेदित किया जाये कि यदि उनमें कोई लक्षण उत्पन्न होते है तो वे तत्काल ICCC को सूचित करते हुए अपनी जॉच निकटवर्ती कोविड जॉच केन्द्र में कराये।

4. **चिकित्सालयों हेतु निर्देश**

4.1 चिकित्साधिकारियों, पैरामेडिकल कार्मिकों को कोविड–19 के प्रबन्धन से सम्बन्धित पुनः संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जाये।

4.2 आवश्यकतानुसार कोविड चिकित्सालयों को तत्परता से क्रियाशील करने हेतु आवश्यक उपकरण (विशेषतः वेन्टीलेटर, कन्सट्रेटर एवं आक्सीजन प्लान्ट) लॉजिस्टिक, दवाईया एवं मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

4.3 समस्त सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।

5. जनपद के हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिये भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत गाईडलाइन के अनुसार कोविड–19 स्क्रीनिंग/जॉच की जाये।

6. सभी भीड़–भाड़ वाले स्थानों यथा अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मल्टीप्लैक्स, मॉल, साप्ताहिक बाजार/मण्डियों इत्यादि पर जनता को संवेदित करते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंस इत्यादि) का अनुपालन करने के लिये लोगो को जागरूक किया जाये।

अतः कोविड–19 पर प्रभावी नियन्त्रण एवं प्रबन्धन हेतु उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 23/12/22
जिला अधिकारी
लखनऊ।

पत्रांक : कोविड–19/2022/1796-3 (कैम्प) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
3. समस्त अपर जिला अधिकारी, लखनऊ।

(हस्ताक्षर)
जिला अधिकारी
लखनऊ।

Scanned with CamScanner